

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम रत्नमाल

न्यायालय

संख्या 48/2021

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/11/23	पत्रावली पेश हुई है पी. ओ. साहब ने आज्ञा के तहत कार्यवाही की है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 20/11/23 को पेश है।	
	21/12/23	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. पत्रावली वास्ते नलकी दिनांक 15/2/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फारी	
	15/2/24	पक्षकारान के वकील उपस्थित है। आज पी. ओ. साहब अवकाश/दोरे पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 18/4/24 को पेश हो।	
	18/4/24	पक्षकारान के वकील उपस्थित है। आज पी. ओ. साहब अवकाश/दोरे पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 24/5/24 को पेश हो।	
	24/5/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. पत्रावली वास्ते नलकी दिनांक 26/5/24 को पेश हो।	
	26/7/24	पत्रावली पेश। पत्रावली पेश की गई। पत्रावली वास्ते नलकी दिनांक 26/7/24 को पेश हो।	
	26/9/24	पत्रावली पेश। वादी व वादी के अधिवक्ता हाजिर नहीं हैं। बार-बार आवाज लगाने पर भी वादी हाजिर नहीं हैं। इसलिए वादी का वाड अफम हाजरी व अफम फेरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल सुमार होकर दर्ज की. स. कम है। उपखण्ड अधिकारी फारी, जिला-दुह	